नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) - एआईपीएसएन का विश्लेषण

1. संक्षिप्त विवरण

नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा तो पारित कर दिया गया लेकिन अभी संसद में इसको प्रस्तावित करने और चर्चा में लाने की कोई जानकारी नहीं है और न ही सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (आगे से एनईपी) दस्तावेज़ को कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप नई शिक्षा नीति (डीएनईपी) 2019 से लिया गया है। हालांकि, इसमें न तो एनईपी के लेखकों के बारे में कोई लिखित बयान है, न ही डीएनईपी 2019 पर प्राप्त प्रक्रियाओं का कोई सारांश और न ही डीएनईपी 2019 में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या जिसके नेतृत्व में एनईपी का गठन किया गया है। एनईपी में मुख्य रूप से अलंकृत शब्दावली और नीति प्रस्तावों का उपयोग किया गया है जो समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों या सत्तारूढ़ व्यवस्था की “सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी” भीड़ को आकर्षित करते हैं। एनईपी में भारतीय शैक्षिक प्रणाली की मूल समस्याओं के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, ग्रामीण और शहरी गरीबों एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों में उच्च असमानता को संबोधित नहीं किया गया है। एनईपी, राज्य को सार्वजनिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी से दूर करता है और मुख्य क्षेत्र के अधिकारों के केंद्रीकरण पर अधिक ज़ोर देता है। यह शिक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण और अविनियमन, विशेष रूप से विद्यालयों के भगवाकरण एवं सदियों से उत्पीड़ित, भेदभाव और वंचित वर्ग से आरक्षण और अन्य सकरात्मक कार्यवाहियों को दूर करने पर भी बल देता है।

ग़रीबों और ऐतिहासिक रूप से हाशिए के वर्गों को अबतक मिलने वाले कुछ अधिकारों और पहुँच को भी एनईपी ख़त्म करता है। यह शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को कमज़ोर करने या ख़त्म करने का आधार प्रदान करता है। एनईपी गैर-न्यायोचित “सार्वभौमिक-पहुँच” के ऊँचे दावे तो करता है लेकिन आरटीई के तहत इसका उपयोग न्यायसंगत अधिकारों से इनकार करने के लिए करता है।

संविधान में प्रतिष्ठापित होने के बावजूद एनईपी आरक्षण का उल्लेख नहीं करता है। शुरुआत से ही हर जगह केवल “योग्यता” को आधार के रूप में वर्णित किया गया है जबकि यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि तथाकथित “योग्यता” समाज में विशेषाधिकार और संसाधनों के एकाधिकारात्मक क्रय को प्रतिबिंबित करता है। उदहारण के लिए तमिलनाडु राज्य मुख्य रूप से अपनी आरक्षण नीतियों तथा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा को ख़त्म करते हुए 49.5% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करने में कामयाब रहा। यह स्पष्ट नहीं है कि आरक्षण के अभाव और प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं से कैसे 50% जीईआर प्राप्त हो पाएगा।

इसका जवाब एनईपी में ऑनलाइन शिक्षा के सुस्पष्ट और क्रियाशील सूत्र में निहित है जिसको गलत ढंग से सभी स्तरों पर कक्षा में सीखने और सिखाने के समकक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि बच्चों और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय अभाव या शैक्षिणिक “योग्यता” की कमी के कारण वंचित किया जाता है तब उनको ऑनलाइन शिक्षा के लिए मजबूर किया जाएगा और राज्य इसे मुख्यधारा की शिक्षा मानकर छुटकारा पाएगा।

एनईपी में तेज़ी से हो रहा केंद्रीकरण, संघवाद और राज्य सरकार के अधिकारों को नष्ट कर देगा। भले ही शिक्षा समवर्ती सूची में है, एनईपी के तहत राज्य सरकारों को परीक्षा, प्रवेश, मानकों, वित्त और मूल्यांकन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की देखरेख में केवल केंद्र द्वारा लागू की गई नीतियों का पालन करने की अनुमति दी जाएगी। एनईपी राज्य स्तर पर शिक्षा को आकर देने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता जो भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता के लिहाज़ से आवश्यक है।

सामान्य रूप से, एनईपी संघ परिवार द्वारा विचारित भारतीय समाज और संस्कृति को पाठ्यक्रम एवं विद्यालयों के माध्यम से भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इच्छा को दर्शाता है। संवैधानिक मूल्यों की बात करने के बाद भी “धर्मनिरपेक्षता” शब्द का उपयोग एक बार भी नहीं किया गया है। गहन चिंतन और वैज्ञानिक चेतना की बात करते हुए, एनईपी “भारतीय ज्ञान प्रणाली” को सिखाने की बात करता है जिसमें “स्वदेशी खेलों” के माध्यम से आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान का उल्लेख किया गया है। ग्रेड 6-8 में भाषा शिक्षण में, एनईपी हिंदुत्व के विचार “एक राष्ट्र, एक भाषा” के साथ आगे बढ़ते हुए “प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता, [और] उसके सामान्य.... स्रोत.... संस्कृत से जोड़ने” पर ज़ोर देता है। ऐसे में यह उत्तर-पूर्व में स्वतंत्र ऐतिहासिक और मौजूदा द्रविड़ एवं आदिवासी तथा अन्य भाषा समूहों के महत्व को पूरी तरह से कम करता है। इसी तरह, भारतीय शास्त्र और अन्य भारतीय भाषाओं के समृद्ध साहित्य और संस्कृति की बात करते हुए पाली, प्राकृत और फ़ारसी का तो उल्लेख किया गया है लेकिन उर्दू का बिलकुल भी ज़िक्र नहीं किया गया है!

प्री-स्कूल, स्कूल और कॉलेज/ विश्वविद्यालय स्तर पर एनईपी ने शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने का कुछ इशारा तो किया है लेकिन साथ ही कॉर्पोरेट और निजी हितों को पूरा करने के लिए एक खुला मैदान भी प्रदान किया है। एनईपी का “लचीला लेकिन सख्त” विनियमन अनिवार्य रूप से निजी स्कूलों को नियंत्रण देता है और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम, प्रवेश, वेतन और शिक्षकों के काम करने के माहौल पर तो “लचीला” या अविनियमित नियंत्रण लेकिन कथित रूप से विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा, मान्यता और कुछ व्यापक परिणाम वाले मानकों पर “सख्त” नियंत्रण प्रदान करने की बात करता है।

एनईपी में कई विशिष्ट प्रस्ताव अव्यावहारिक हैं और इससे संस्थानों, विद्यार्थियों और शिक्षकों में काफी विघ्न उत्पन्न होगा। उन्हें शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी जो हम राज्यों को शिक्षा से अलग होने के रूप में देख सकते हैं। एनईपी 2020 शिक्षा में सरकारी निवेश को

धीरे-धीरे सकल घरेलु उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की बात करता है जबकि यह बात तो कोठारी आयोग रिपोर्ट द्वारा 1966 में ही बताई जा चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल कुछ खोखले वादे हैं, यहाँ तक कि डीएनईपी 2019 में प्रस्तावित शिक्षा पर वार्षिक बजटीय खर्च में वृद्धि के सुझाव को भी एनईपी से हटा दिया गया।

संक्षेप में, एनईपी भारत के आर्थिक और ऐतिहासिक तथा सामाजिक रूप से वंचित बच्चों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। यह उनको ज्ञान तथा कौशल-गहन आधुनिक वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में संपूर्ण ज्ञान और लाभकारी रोज़गार प्रदान करने में भी असफल रहा है।

नीति के कुछ आवश्यक पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

एनईपी 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रणाली में लाने का सुझाव देता है। यह अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है क्योंकि विश्व स्तर पर बच्चे आमतौर पर 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र में स्कूल जाते हैं। मौजूदा आंगनवाड़ी प्रणाली के साथ-साथ स्थानीय प्राथमिक स्कूलों का उपयोग करके तेज़ी से बढ़ रहे निजी प्री-स्कूल शिक्षा व्यवसाय को अब नीति स्तर पर मान्यता दी जा रही है। 3-6 वर्ष के बच्चों को सावधानीपूर्वक संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवशयकता होती है लेकिन यह नीति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त वेतन की परवाह किए बिना ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण करने का प्रस्ताव देती है। स्थानीय पंचायतो को खेल एवं गतिविधि क्षेत्रों और आवश्यक सामग्रियों के साथ आंगनवाड़ियों को ईसीसीई के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? बच्चों को स्वच्छता, साफ़ पेयजल, खाद्य सुरक्षा और मातृ लाभ सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सहायता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. स्कूल शिक्षा

एनईपी ने स्कूलों का आकलन और उसके विकास की निगरानी करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 के बाद सार्वजनिक परीक्षा की शुरुआत की है। लेकिन इससे केवल बच्चों में ड्राप-आउट एवं मानसिक दबाव में इज़ाफा होगा और साथ ही पहले से हाशिए वाले समूह शिक्षा से और दूर हो जाएंगे। ग्रेड 10 और ग्रेड 12 की परीक्षाओं के अलावा, राष्ट्रीय आकलन केंद्र के अंतर्गत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है। यह सब विभिन्न राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड की भूमिका को कुछ हद तक कमज़ोर बनाता है। राष्ट्रिय स्तर पर एक बार फिर सेमेस्टर-वार, पाठ्यक्रम-वार और अन्य आवधिक परीक्षा की भी चर्चा की गई है। इस तरह का "एग्ज़ाम राज" एनईपी द्वारा बताए गई खुली और लचीली शैक्षिक प्रणाली के विपरीत है और वास्तव में बच्चों पर परीक्षा प्रणाली के बोझ और दबाव को भी बढ़ाता है।

एनईपी तीन भाषाई फार्मूला का प्रस्ताव देता है जिसमें संस्कृत को मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अलावा एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में पहले ही तमिलनाडु में विरोध शुरू हो चुका है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उपयोग करने और राज्यों को स्वयं की पाठ्यपुस्तक विषय-वस्तु विकसित करने के बजाय एनईपी "स्थानीय विषय-वस्तु और आस्वाद" के साथ केंद्रीयकृत राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों की मांग करता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह कोविड-19 महामारी के दौरान हाल ही में देखे गए मनमाने और प्रायोजित कार्यों को जन्म दे सकता है जिसमें पाठ्यक्रम को कम करने के लिए धर्मनिरपेक्षता, गहन चिंतन और कुछ ऐतिहासिक/ राजनीतिक आकड़ों से संबंधित विषयों/ अध्यायों से हटा दिया गया था।

एनईपी प्रभावी रूप से आरटीई 2009 के तहत 6-14 वर्ष आयु वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की अपनी पतिबद्धता से राज्य को प्रभावी ढंग से अलग करने का सुझाव देता है। यह इसको "3 से 18 वर्ष आयु तक सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने" के अस्पष्ट आश्वासन से प्रतिस्थापित करता है। इस मामले को और बदतर बनाते हुए, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में ड्रापआउट के नामांकन और रोक कर रखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के बजाय एनईपी 2020 में प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य ड्रापआउट बच्चों के लिए "सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाने" का सुझाव दिया गया है। इसी तरह, एक नए शब्द सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) (दिव्यांग बच्चों सहित) का प्रस्ताव दिया गया है जो एससी और एसटी समुदायों के ख़िलाफ विशिष्ट ऐतिहासिक भेदभाव की मान्यता को समाप्त करता है, उनको मुख्य रूप से नेशनल और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन लर्निंग (एनआईओएस/ एसआईओएस) के अंतर्गत पढ़ाए जाने का सुझाव देता है और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के भीतर विशेष व्यवस्था करने के बजाय उनकी असुविधा और डिजिटल विभाजन को बढ़ावा देता है।

बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों, विशेष रूप से छोटे या अलग-थलग समुदायों में, को दक्षता, व्यवहार्यता और संसाधन अनुकूलन के नाम पर बंद किया जाएगा। ऐसे में कई शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और बच्चों को स्कूल तक आसान पहुँच के अभाव में अधिक यात्रा करना होगी।

पिछले शिक्षा आयोगों और नीतियों ने पड़ोस के स्कूलों पर आधारित सरकार द्वारा वित्त पोषित समान स्कूल प्रणाली का सुझाव दिया था। एनईपी 2020 ने अब इस मूल विचार को पूरी तरह से छोड़ दिया है जिसे अब भी सभी प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में अपनाया जा रहा है।

4. अध्यापक शिक्षा

एनईपी में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की सुप्रसिद्ध कमी, विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और आदिवासी एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में, को स्वीकार तो किया गया है लेकिन पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया

गया। इस विषय में समाधान प्रदान करने के बजाय, एनईपी ने 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूलों को एक साथ जोड़ने और शिक्षकों को साझा करने के लिए स्कूल परिसरों की अवास्तविक अवधारणा का सुझाव दिया है!

एनईपी के केंद्रीकरण और एग्ज़ाम राज के परिणामस्वरूप शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रावधान को, फाउंडेशन से लेकर माध्यमिक, शिक्षा के सभी स्तरों तक बढ़ा दिया गया है।

शिक्षण के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल का एनईपी योजना द्वारा अवमूल्यन किया गया है। इस योजना के तहत ग्रेड-1 से लेकर ग्रेड-12 के शिक्षकों को एक विषय विशेषज्ञता के साथ 4- वर्षीय एकीकृत डिग्री की आवश्यकता होगी। पहले की प्रणाली में प्रत्येक विशिष्ट स्तर की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बीएड या बीएलएड जैसे अलग-अलग कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती थी। एनईपी योजना में स्नातक के लिए 2-वर्षीय बीएड और स्नातकोत्तर के लिए 1-वर्षीय बीएड को भी शामिल किया गया है। किसी पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता वाले व्यक्ति के लिए 2 सप्ताह से 3 माह के अल्पकालिक कोर्स भी प्रदान किए जाएंगे। यह "वालंटियर/ अंशकालिक/ सहायक शिक्षक", शिक्षकों की गुणवत्ता को कम करेंगे और व्यावसायीकरण की संभावना को बढ़ावा देंगे।

5. व्यवसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा को हमेशा से ही ख़राब तरह से प्रबंधित और समझा गया है। अब तक भारत स्कूलों के +2 चरण में प्रवेश स्तर के व्यवसायिक कौशल के बीच लड़खड़ाता रहा है। इसके साथ ही ड्रापआउट को रोकने में अपर्याप्त रहा है और आईटीआई की कमज़ोर प्रणाली से भी जूझ रहा है। भारत में जाति और वर्ग-शासित समाज हजारों वर्षों से चला आ रहा है, माध्यम वर्ग/ उच्च जातियों ने शिक्षा हासिल की जबकि निम्न वर्ग/ जातियों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह जातिवादी ढांचा आज भी क़ायम है जहाँ एक आभासी "सुरक्षा दीवार" आज भी शिक्षा प्रणाली और कौशल प्रणाली के बीच बनी हुई है। यह एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए मुनासिब नहीं है। आज के दौर में कार्य बल को न केवल उन्नत कौशल की बल्कि संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के समरूपी स्तरों की भी आवश्यकता होती है। भारत में जितना भी श्रम बल है उसका केवल 2% ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है जबकि चीन में यह 55%, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया में 80-85% और जापान में 90% से भी अधिक है। दोनों, उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं और "उभरती हुई" दक्षिण पूर्व एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि अधिकतर देशों में व्यावसायिक शिक्षा (VocEd) स्कूल के बाद तृतीयक शिक्षा के रूप में उपस्थित है। यह या तो पूर्ण माध्यमिक शिक्षा के पूरे होने पर या फिर कुछ न्यूनतम स्तर की उपलब्धता को प्राप्त करने पर दी जाती है।

डीएनईपी 2019 में कुछ स्वीकृति देते हुए VocEd को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रखा गया था लेकिन एनईपी में इसे वापस ले लिया गया। एनईपी कहता है कि "चरणबद्ध तरीक़े से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा" और आगे इसे अंत तक ले जाने के लिए "माध्यमिक विद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग, आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे"। एनईपी कहीं भी ग्रेड 6 से 8 में कारीगर के साथ इंटर्नशिप सहित व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं करता। ये कई कारणों से एक अत्यधिक प्रतिगामी कदम है। यह बच्चों को एक संपूर्ण और पूर्ण विकसित माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है। इसे अधिकांश आधुनिक राष्ट्रों में केवल एक सक्षम कार्यबल के लिए ही नहीं बल्कि सशक्त नागरिकों के लिए आवश्यक माना जाता है। एनईपी के तहत स्कूल के ग्रेड 8 से 12 में प्राप्त कौशल केवल निम्न और प्रवेश स्तर का है जो वास्तविक जीवन में औद्योगिक या सेवा-क्षेत्र की नौकरी के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

इस प्रस्ताव की अतिरिक्त जिम्मेदारियों, पर्याप्त कौशल, अनुभव और योग्यता वाले नए शिक्षकों की आवश्यकता और सबसे ऊपर विभिन्न ट्रेडों/ व्यवसायों में उपयोग होने वाले उपकरण / मशीनरी के लिए महंगे बुनियादी ढांचे ने पहले से ही तनावग्रस्त स्कूल प्रणाली पर एक और बोझ डाल दिया है। यह व्यावहारिक अक्षमता और वांछित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता दोनों के कारण निश्चित रूप से विफल हो जाएगा।

6. उच्चतर शिक्षा (एचई)

1990 के बाद से भारतीय उच्चतर शिक्षा निजीकरण के रास्ते पर काफी आगे तक निकल चुकी है। निजी विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थान (एचईआई) काफी तेज़ी से फैले हैं। अधिकांश संस्थानों, विशेष रूप से पेशेवर और तकनीकी विषयों, में ख़राब सुविधाएं और संकाय हैं लेकिन वे उच्च अनियमित फीस और कई अप्रत्यक्ष शुल्क भी वसूल करते हैं। हालांकि, वे अभी भी सुयोग्य और प्रशिक्षित स्नातकों को सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षण के लिए धन के अभाव और शोध के लिए कोई सहायता न होने से या तो फीस बढ़ाने या व्यावसायीकरण के लिए मजबूर हैं। एनईपी के पास इस समस्या के लिए कोई समाधान नहीं है। यह केवल एक मॉडल को प्रस्तावित करने के लिए उच्च शब्दों और अलंकृत भाषा का उपयोग करता है जो निजीकरण, व्यावसायीकरण, असमानता और गुणवत्ता की बड़ी समस्याओं को और बढ़ा देगा।

समान पहुँच और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि को ओपन लर्निंग के उपयोग से सुलझाया जाएगा। हाशिए और गरीब वर्ग के लोग ओपन लर्निंग के साथ संघर्ष करते हुए धीरे धीरे उच्चतर शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। यह केवल पहुँच और जीईआर को कम करेगा।

एनईपी संबद्ध कॉलेजों से छुटकारा पाते हुए बड़े, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों या एचईआई की ओर बढ़ने का प्रस्ताव देता है जो कई विषयों और श्रेणियों में पाठ्यक्रम प्रदान करे सकेंगे और

कुछ स्वायत्त कॉलेजों को डिग्री देने का भी अधिकार दिया जाएगा। ये बहु-विषयक एचईआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और डिग्री के साथ हर वर्ष प्रवेश और निकास बिन्दुओं के 4-वर्षीय स्नातक कोर्सेस की पेशकश करते हैं। यह लेटरल प्रवेश और निकास के विभिन्न बिन्दुओं को प्रदान करने के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। इसके लिए अलग से तैयार किए गए मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है। यह केवल उच्चतर शिक्षा से छात्रों के बाहर निकलने में वृद्धि करेगा। कई कोर्सेस की पेशकश करने वाले बड़े विश्वविद्यालय सरकारी धन के अभाव में केवल कॉर्पोरेटीकरण के साथ ही संभव हो सकेंगे। इससे शिक्षकों की नौकरियों में व्यवधान और नुकसान होगा।

जैसा कि स्वायत्त कॉलेजों का अब तक का अनुभव है, रैंकिंग प्रणाली में ग्रेड के आधार पर ग्रेडेड स्वायत्तता को कॉलेजों तक विस्तारित कर उन्हें खुद की डिग्री प्रदान करने का अधिकार देने का मतलब केवल अधिक निजीकरण, उच्च फीस और ज़रुरत के अनुसार बनाए गए अल्पकालिक कोर्स को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देना है जिससे उच्चतर शिक्षा का और अधिक व्यावसायीकरण होगा।

कॉर्पोरेट संरचनाओं के समान एनईपी के प्रस्ताव को रेखांकित किया गया है जिसमें प्रत्येक एचईआई स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (बीओजी) का गठन कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। ऐसी संभावना है कि एनईपी 2020 के तहत एचईआई के कॉर्पोरेट शैली के संचालन का प्रमुख शिकार शिक्षकों होंगे। शिक्षकों का वेतन, रोज़गार का प्रकार और कार्यकाल, पदोन्नति और इसी तरह के सभी मामलों को आंतरिक रूप से संबंधित एचईआई के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा तय किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित समान मापदंडों या मानकों का पालन नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन का आकलन व्यक्तिपरक और किसी भी तरह के निरीक्षण और विनिमय से मुक्त होगा।

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) को शीर्ष पर रखते हुए कई केंद्रीय संस्थानों का गठन प्रस्तावित है। एचईसीआई के साथ में विनियमन के लिए एनएचईआरसी, प्रत्यापन के लिए एनएसी, अनुदान के लिए एचईजीसी और प्रतिफल मानकों के निर्धारण के लिए जीईसी को रखा गया है। प्रतिफलों का मूल्यांकन भी केंद्रीय रहेगा जो रेटिंग, प्रत्यापन और वित्तपोषण को निर्धारित करेगा। जबकि इन संस्थानों के लिए शिक्षकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन की बहुत चर्चा है, इसमें सरकार का अत्यधिक दखल स्पष्ट नज़र आता है।

एचईआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं को भी एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का महत्व अभी सवालों के घेरे में है क्योंकि एचईआई इन परीक्षा के परिणामों को अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। एनईपी ने राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य राज्य-स्तरीय एचईआई से अपेक्षित कार्य को संबोधित नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश के सभी एचईआई केंद्रीय सरकार के अधीन रहते हुए इन्हीं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

निजीकरण और कॉर्पोरेटाइज़्ड एचईआई के इस नव-उदारवादी परिदृश्य के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉर्पोरेट शैली का संचालन, बाज़ार-आधारित कोर्स संरचना, शिक्षकों के अनौपचारिक या कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोज़गार और उच्च फीस जैसे मानक और रोल मॉडल को स्थापित करेगा।

पहले से ही अनुसंधान निधि प्रदान करने वाली कई एजेंसियों के अलावा एक केंद्रीयकृत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। केवल एनआरएफ सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए धन प्रदान करेगा।

एचईआई के लोकतांत्रिक संचालन के लिए एनईपी में कोई जगह नहीं है। एनईपी के अनुसार शिक्षकों और छात्रों की भूमिका “उपभोक्ता” के अलावा और कुछ नहीं है।

7. प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना

प्रौढ़ शिक्षा की पूरी अवधारणा ‘मंशा’ और ‘पहुँच’ दोनों ही संदर्भों से कमज़ोर है। सबसे पहले, बुनियादी शिक्षा पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है और ऐसे में जीवनपर्यंत सीखने पर ज़ोर देने की अवधारणा और लेन-देन दोनों ही अस्पष्ट मालूम होते है। दूसरा, प्रौद्योगिकी आधारित प्राथमिक और पूरक पुस्तकों के एकीकरण द्वारा साक्षरता और जीवनपर्यंत सीखने के ऑनलाइन लेन-देन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पहले भी साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान ‘जन अभियान दृष्टिकोण’ से हटकर ‘अभिसरण आधारित दृष्टिकोण’ को अपनाया गया था। अब, यह जानते हुए कि बड़े स्तर पर जन अभियान दृष्टिकोण से पर्याप्त लाभ मिला है, एनईपी इतिहास में पीछे जाते हुए 1980 के दशक की स्कूल आधारिक पुरानी अवधारणाओं “ईच वन, टीच वन” पर ज़ोर दे रहा है या फिर

जीवनपर्यंत सीखने के लिए बुनियादी साक्षरता और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ाव पर निर्भरता के लिए विद्यार्थी वालंटियर को शामिल करता है। यह गतिविधियां स्कूल इमारतों में शिक्षण कार्य के पूरा होने के बाद की जाएंगी जो बुनियादी साक्षरता और जीवनपर्यंत सीखने की पहुँच को और अधिक सीमित कर देंगी।

यहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी में संसाधन सहायता स्थापित कर 4-दशक पुराने शैक्षिणिक और व्यावसायिक संस्थानों जैसे डीएई और एसईआरसी का व्यवस्थित विघटन भी किया जा रहा है। इन संस्थानों के पास गैर-औपचारिक शिक्षा के बजाय औपचारिक शिक्षा की शैक्षिणिक और तकनीकी क्षमताएं हैं, इस कदम से यह संस्थान अपनी संस्थागत यादों और दशकों लम्बे अनुभव को खो देंगे।

एआईपीएसएन द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एनईपी 2020 के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को जारी रखने रखते हुए मांगों और क्रियात्मक कार्यक्रमों का सुझाव।

राष्ट्रीय स्तर पर:

- ✓ संसदीय समिति से एनईपी 2020 पर विचार-विमर्श करने की मांग
- ✓ कार्यान्वयन से पहले एनईपी 2020 पर संसदीय चर्चा और अनुमोदन की मांग
- ✓ 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार विधेयक/ अधिनियम से 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार देने के लिए दबाव बनाना
- ✓ आरटीई के अनुसार एनईपी 2020 का कार्यान्वयन। केवल संस्थान आधारित और शिक्षक आधारित शिक्षा प्रणाली। +2 तक कोई ऑनलाइन शिक्षा नहीं।
- ✓ केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ौतरी।
- ✓ शिक्षा में तीन भाषायी फार्मूला को अपनाने के लिए राज्यों को मजबूर न करना
- ✓ स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा पैटर्न पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार की स्वायत्तता को ख़त्म न करना।
- ✓ सिर्फ पाठ्यक्रम को अपनाना न कि केंद्र द्वारा जारी की गई पुस्तकों को।

राज्य स्तर पर:

- ✓ विशेषज्ञों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र संगठनों को शामिल करते हुए मौजूदा प्रणाली और प्रस्तावित एनईपी 2020 की समीक्षा करने की मांग
- ✓ राज्य द्वारा एनईपी 2020 पर स्वतंत्र जन सुनवाई का आयोजन
- ✓ औपचारिक शिक्षा प्रणाली से अलग और पूर्णकालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं वाले सामजिक कल्याण विभाग के साथ ईसीसीई की मांग
- ✓ पाठ्यक्रम में कोई व्यावसायिक कोर्स का न होना और पाठ्यक्रम आधारिक प्रायोगिक प्रशिक्षण को स्कूल के भीतर बढ़ावा देना
- ✓ 10वीं तक कोई सार्वजनिक परीक्षा नहीं
- ✓ बच्चों को आरटीई आधारिक शिक्षा सुनिश्चित करना
- ✓ स्वायत्तता जारी रखने के लिए स्वायत्त कॉलेजों की सार्वजनिक समीक्षा।
- ✓ विशेषज्ञों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र संगठनों को शामिल करते हुए राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना
- ✓ एनईपी 2020 में दिए गए प्रस्तावों पर स्वतंत्र जन सुनवाई आयोजित करना
- ✓ एनईपी को लागू करने से पहले विधानसभा में चर्चा और अनुमोदन करना

अभियान को गतिशीलता देने के लिए

- ✓ शिक्षा को राज्य के दायरे में वापस लाना
- ✓ सामाजिक न्याय आधारित शिक्षा प्रदान करना
- ✓ निजीकरण, व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण का विरोध करना
- ✓ विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति न देना
- ✓ एनईईटी, एनईएक्सटी सहित कॉलेजों कोर्सेस के लिए प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का विरोध करना
- ✓ मेडिकल, इंजीनियरिंग और कृषि जैसे व्यावसायिक कोर्सेस को न्यायशास्त्र के जैसे संरक्षित करना
- ✓ व्यावसायिक डिग्री के बाद प्रवेश परीक्षा के ख़िलाफ़ अभियान।

अभियान के लिए कार्य और रणनीति

- ✓ एनईपी 2020 पर हमारे विचारों को फेसबुक लाइव या अन्य डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना
- ✓ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एनईपी पर हमारे विचारों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों, शिक्षाविदों और लोगों तक पहुँचना
- ✓ एक प्रभावी अभियान पोस्टर तैयार करना और उसे व्यापक रूप से प्रसारित करना
- ✓ हमारी मांगों और कार्यवाही की योजना के साथ एक पेज का पम्पलेट तैयार करना और राज्यों को प्रसारित करना ताकि वे इसे विभिन्न स्थानीय भाषाओं में बना सकें।
- ✓ शिक्षक संघ, संगठनों, विशेषज्ञों, एसएमसी सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ, अभिभावकों, पंचायत और ईसीसीई पर कम करने वाले समूहों, आदि के साथ एनईपी 2020 पर राष्ट्रीय से लेकर ग्रामीण स्तर तक संवाद का आयोजन करना।
- ✓ ज़िला और राज्य स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन करना।
- ✓ हस्ताक्षर अभियान चलाना।
- ✓ जहाँ भी संभव हो राज्य सरकार के साथ परामर्श करना।